राजस्थान स्टेट माईन्स एण्ड मिनरल्स लि0

(राजस्थान सरकार का उपकम)

8 वेस्ट पटेल नगर , सर्किट हाउस रोड , जोधपुर

निविदा संख्या : आर.एस.एम.एम. / एसबीयू एण्ड पीसी–एल.एस. / जीजीएम–एलएस / संविदा– 12 / 14–15
दिनांक : 31.03.2015

सानू माईन्स, जैसलमेर

के लिये

टैंकर द्वारा पानी परिवहन इत्यादि विभिन्न कार्यो हेतु

निविदा प्रपत्र

निविदा जमा कराने की तिथि–समय	....	दिनांक 30 / 04 / 2015 अपरान्ह 3.00 बजे तक
निविदा खुलने की तिथी–समय	....	दिनांक 30 / 04 / 2015 अपरान्ह 3.30 बजे तक
निविदा प्रपत्र का मूल्य	....	रु.1140/- (ब्रिकी कर सहित)
स्थान	....	जैसलमेर कार्यालय :– खनिज भवन बी.पी. टेंक के पास।
निविदा प्रपत्र की बिक्री	....	दिनांक 07 / 04 / 2015 से दिनांक .. 30 / 04 / 2015 अपरान्ह 1.00 बजे तक (कार्यालय समय में ,राजकीय अवकाश व रविवार के अतिरिक्त)

सानू खदान कार्यालय, सानू लाईम स्टोन माईन्स जैसलमेर–रामगढ़ सड़क (55 कि0मी0) जैसलमेर – 345001	जैसलमेर कार्यालय, आर.एस.एम.एम. लिमिटेड़, खनिज भवन बी.पी. टेंक के पास] जैसलमेर –345001

समूह महाप्रबन्धक (लाईम स्टोन)
जोधपुर कार्यालय की ओर से जारी

राजस्थान स्टेट माईन्स एण्ड मिनरल्स लि0

(राजस्थान सरकार का उपक्रम)

8, वेस्ट पटेल नगर , सर्किट हाउस रोड , जोधपुर

Phone: 0291 2511031 / 2516199 Fax: 0291 2511029

निविदा संख्याः आर.एस.एम.एम. / एसबीयू एण्ड पीसी–एल.एस. / जीजीएम–एलएस / संविदा–12 / 14–15 दिनांक : 31.03.2015

निविदा सूचना

कार्य का विवरण	निविदा प्रपत्र विक्रय व प्रस्तुत करने की तिथि	धरोहर राशि एवं निविदा प्रपत्र मूल्य	कार्य अवधि एवं न्यूनतम मासिक परिचालन
सानू माईन्स जैसलमेर के लिये पानी स्प्रिंकलरयुक्त एक 10,000 लीटर अथवा इससे अधिक क्षमता के ट्रक चैसिस (मॉडल वर्श 2007 अथवा उसके बाद का) पर बने पानी के टैंकर द्वारा रामगढ़ नहर / रामगढ़ स्थित पी.एच.ई.डी. हाईड्रेट / सानु ग्राम स्थित पी. एच.ई.डी. ट्यूबवेल से कम्पनी की सानु लाईमस्टोन माईन्स तक पानी परिवहन कर निविदा में दर्शित विभिन्न कार्य निष्पादित करना।	दि. 07.04.2015 से 30.04.2015 दोपहर 01.00 बजें तक। जैसलमेर कार्यालय में निविदा प्रस्तुत करने की अन्तिम तिथि 30.04.2015 को अपरान्ह 3.00 बजें तक	धरोहर राशि – रूपये 57600 / – निविदा प्रपत्र (अहस्तान्तरणीय) रूपये 1140 / – मू.सं. कर (अप्रतिदेय)	कार्य अवधि 2 वर्ष
निविदा खोलने की तिथि	दिनांक 30.04.2015 अपरान्ह 3.30 बजें		
सम्पर्क अधिकारी–वरि.प्रबन्धक (अनुबन्ध)	दूरभाष–(0291) 2511031, E-Mail: rsmmjodhpur@rsmm.com		
विस्तृत निविदा सूचना तथा अन्य शर्ते website- www.rsmm.com पर देखी जा सकती है । निविदा प्रपत्र वेबसाईट से भी डाउनलोड किया जा सकता है ।			

समूह महाप्रबन्धक (लाईम स्टोन)

राजस्थान स्टेट माईन्स एण्ड मिनरल्स लि0

(राजस्थान सरकार का उपक्रम)
8, वेस्ट पटेल नगर , सर्किट हाउस रोड , जोधपुर
Phone: 0291 2511031 / 2516199 Fax: 0291 2511029

निविदा संख्याः आर.एस.एम.एम. / एसबीयू एण्ड पीसी–एल.एस. / जीजीएम–एलएस / संविदा–12 / 14–15 दिनांक : 31.03.2015

विस्तृत निविदा सूचना

अनुभवी एवं सक्षम ठेकेदारों से मोहरबन्द निविदायें दो भागों (अ) तकनीकी–वाणिज्यिक प्रस्ताव (ब) दर प्रस्ताव, में आमन्त्रित की जाती है । कार्य का संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार है :–

कार्य का विवरण	**निविदा प्रपत्र विक्रय व प्रस्तुत करने की तिथि**	**धरोहर राशि एवं निविदा प्रपत्र मूल्य**	**कार्य अवधि एवं न्यूनतम मासिक परिचालन**
सानू माईन्स जैसलमेर के लिये पानी स्प्रिंकलरयुक्त ,d 10,000 लीटर अथवा इससे अधिक क्षमता के ट्रक चैसिस (मॉडल व र्ा 2007 अथवा उसके बाद का) पर बने पानी के टैंकर द्वारा रामगढ़ नहर / रामगढ़ स्थित पी.एच.ई.डी. हाईड्रेट / सानु ग्राम स्थित पी.एच. ई.डी. ट्यूबवेल से कम्पनी की सानु लाईमस्टोन माइन्स तक पानी परिवहन कर निविदा में दर्ि ात विभिन्न कार्य नि पादित करना।	दि. 07.04.2015 से 30.04.2015 दोपहर 01.00 बजें तक। जैसलमेर कार्यालय में निविदा प्रस्तुत करने की अन्तिम तिथि 30.04.2015 को अपरान्ह 3.00 बजें तक	धरोहर राशि – रूपये 57600 / – डिमाण्ड ड्राफ्ट के रूप में, जो कि आर.एस.एम. एम.लि., जैसलमेर के नाम से देय हो निविदा प्रस्ताव के साथ जमा करानी होगी । निविदा प्रपत्र (अहस्तान्तरणीय) रूपये 1140 / – मू.सं. कर (अप्रतिदेय)	कार्य अवधि 2 वर्ष
निविदा खोलने की तिथि	दिनांक 30.04.2015 अपरान्ह 3.30 बजें		
सम्पर्क अधिकारी–वरि.प्रबन्धक (अनुबन्ध)	दूरभाष–(0291) 2511031, E-Mail: rsmmjodhpur@rsmm.com		
विस्तृत निविदा सूचना तथा अन्य शर्ते website- www.rsmm.com पर देखी जा सकती है । निविदा प्रपत्र वेबसाईट से भी डाउनलोड किया जा सकता है ।			

निविदा प्रस्तुत करने हेतु पात्रता

1. विगत चार वर्षो में किसी भी एक वर्ष में स्वयं की अथवा साझेदार की टर्न ओवर कम से कम रूपये 5.65 लाख होना चाहिये ।

इच्छुक व्यक्ति / कम्पनी / संस्था को निविदाएं दो अलग–अलग भागों में तकनिकि / वाणिज्यिक भाग व अहस्तान्तरणीय मूल्य / दर भाग में प्रस्तुत करनी होगी । प्राप्त निविदाओं के प्रथम भाग (तकनिकि वाणिज्यिक भाग) को उपरोक्तानुसार तिथि को इच्छुक उपस्थित निविदाकर्ताओं / प्रतिनिधियों के समक्ष कम्पनी के जैसलमेर स्थित कार्यालय में खोली जायेगी तथा सफल

निविदाकर्ताओं को सूचीबद्ध किया जाकर ऐसे सूचीबद्ध निविदाकर्ताओं का ही द्वितीय भाग (दर प्रस्ताव) बाद में खोला जाएगा उसकी सूचना सफल निविदाकर्ताओ को भिजवायी जावेगी । प्रबन्धन बिना कोई कारण बताये निविदाओं को आंशिक या पूर्ण रुप से निरस्त कर सकता है ।

जिन निविदाकर्ताओं को कम्पनी द्वारा पूर्व में किसी भी कार्य हेतु कार्यादेश जारी किया गया हो उसके पश्चात् यदि उसे निविदाकर्ता ने स्वीकार नहीं किया हो या कार्य बीच में छोड़ दिया हो या निविदाकर्ता की गलती की वजह से कार्यादेश कम्पनी द्वारा निरस्त कर दिया गया हो तो ऐसे निविदाकर्ता इस निविदा में भाग लेने के लिए पात्र नहीं होगे ।

समूह महाप्रबन्धक (लाईम स्टोन)

निविदा प्रपत्र

1-0 सानू माईन्स

सानू लाईम स्टोन माईन्स संख्या 1 व 2 जैसलमेर–रामगढ़ सड़क पर जैसलमेर से लगभग 55 कि0मी0 की दूरी पर स्थित है। इन खानों का लीज़ एरिया 20 वर्ग कि.मी. में फैला हुआ है। सामान्यतया खान क्षेत्र में स्थित विभिन्न क्रशिंग प्लांटों में उत्पादन कार्य के दौरान निकले वेस्ट को डम्परों द्वारा माइन में पुर्नभरण किया जाता है। तथा इसे लेवल करने के पश्चात् पर्यावरण सुधार की दृश्टि से वेस्ट डम्प पर वृक्षारोपण एक नियमित प्रक्रिया के अन्तर्गत किया जाता है। मानसून व वर्श के अन्य समय में वर्शा के मौसम को छोड़कर सम्पूर्ण वर्श पानी के टैंकर द्वारा पौधों की सिंचाई की जाती है। साथ ही डस्ट को हवा में उड़कर पर्यावरण को प्रदूशित होने से रोकने के लिए विभिन्न क्रशिंग प्लांटों में विभिन्न स्थानों पर पानी की आव यकता होती है तथा इसके लिए पानी के भण्डारण हेतु विभागीय क्रशिंग प्लांट के कन्ट्रोल रूम के पास एक लगभग 50,000 लीटर क्षमता का सतही आर.सी.सी. टैंक स्थित है, जिसमें आव यकतानुसार सप्ताह में दो या तीन बार टैंकर द्वारा पानी भरने की आव यकता होती है। विभागीय ट्रक तुलने के कांटे के आसपास वाले क्षेत्र में ट्रकों की निरन्तर आवाजाही रहती है, जिसके कारण डस्ट के हवा में उड़ने का निरन्तर अन्दे ाा रहता है तथा इसके कारण असुरक्षित वातावरण पैदा होता है, अतः पर्यावरण अच्छा बनाये रखने के लिए इस क्षेत्र में टैंकर के पीछे की तरफ एक या दो स्प्रिंकलर पाइप (वाल्व सहित) जिसमें थोड़ी–थोड़ी दूरी पर पानी की निकासी के लिए छोटे छोटे छिद्र बने हों, लगा होना चाहिए, ताकि पानी फव्वारे की भाक्ल में सड़क पर गिरकर डस्ट को दबा सके। निविदाकर्ता निविदा भरने से पूर्व कार्य की स्थिति अच्छी तरह देखकर ही अपने रेट प्रस्ताव भरे ।

2-0 कार्य का विवरण

2.1 ट्रक चैसिस मॉडल वर्ष 2007 अथवा उसके बाद के मॉडल पर बने न्यूनतम 10,000 लीटर अथवा इससे अधिक क्षमता वाले पानी के टैंकर द्वारा सानु लाईमस्टोन माईन्स से लगभग 16–17 किमी दूर स्थित रामगढ स्थित नहर की सागरमल गोपा भाखा व रामगढ़ नहर में पानी न होने की स्थिति में रामगढ़ स्थित पी.एच.ई.डी. हाईड्रेट अथवा 7–8 किमी. दूरी पर स्थित सानू पी.एच.ई.डी.ट्यूबवेल से माईन्स तक पानी परिवहन कर विभिन्न कार्यों का निशपादन करना।

2.2 सानू लाइमस्टोन माइन्स संख्या 1 व 2 क्षेत्र में फैले वेस्ट डम्प पर किये गये वृक्षारोपण की सिंचाई हेतु टैंकर ले जाकर पौधों को पानी उपलब्ध कराना होगा तथा इस कार्य के लिए स्थाई रूप से जी. आई. / पीवीसी पाइप लगे होने चाहिए तथा उनके दोनों साईड में दो इंच व्यास के 1–1 वाल्व लगे हों एवं पौधों को पानी देने एवं पानी को भूमिगत टैंक में खाली

करने हेतु पर्याप्त लम्बाई के पीवीसी/कैनवास होज पाइप भी उपलब्ध कराना होगा। पानी उपलब्ध कराने हेतु रामगढ़ नहर/रामगढ़ स्थित पी.एच.ई.डी. विभाग के हाईड्रेन्ट/सानू ग्राम स्थित पी.एच.ई.डी. ट्यूबवेल पर पानी क्रय हेतु किया गया समस्त खर्च निविदाकर्ता स्वयं वहन करेगा जबकि कंपनी की आव यकतानुसार रामगढ़ स्थित पी.एच.ई.डी. से लाये गये फिल्टर्ड पानी के क्रय का पूर्ण भुगतान पी.एच.ई.डी. द्वारा जारी की गई मूल रसीद प्रस्तुत करने पर उसमें वर्णित राि ा का वास्तविक भुगतान, मासिक बिल के साथ देय होगा।

2.3 विभागीय क्रि ांग प्लांट व ट्रक तुलने के कांटा क्षेत्र में अथवा जहॉ ट्रांसपोर्ट ट्रकों की ज्यादा आवा–जाही होती हो एवं माईन्स हॉलेज रोड (mine access/haul road) पर आव यकतानुसार डस्ट को उड़ने से रोकने के लिये टैंकर द्वारा पानी का छिड़काव करना ।

2.4 आव यकतानुसार पीने के पानी भण्डारण हेतु खान पर स्थित भूमिगत टैंक की क्षमता लगभग 15000 ली. व विभागीय क्रशिंग प्लांट स्थित सतही आर.सी.सी. टैंक की क्षमता लागभग 50000 ली. में पानी डालना।

2.5 आव यकतानुसार सप्ताह में एक या अधिक बार दोनों माईन्स की बारूद मैग्जीन, जो कि विभागीय ट्रक तुलने के कॉटे से लगभग 3 से 4 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, जाकर पीने का पानी उपलब्ध कराना।

2.6 आव यकतानुसार सानु माइन्स स्थित रिजर्वायर पर पानी उपलब्ध हो जाने की स्थिति में हाईड्रेट से पानी का परिवहन करना एवं वेस्ट डम्प पर, वृक्षारोपण की सिंचाई एवं आवश्यकतानुसार अन्य कार्य जैसे विभागीय क्रशिंग प्लांट क्षेत्र में सतही स्थित आर..सी.सी के टैंक में पानी डालना या माइन्स होलेज रोड/विभागीय क्रशिंग प्लांट क्षेत्र में टैंकर पर लगे स्प्रिंकलर द्वारा पानी का छिड़काव । यह कार्य खान प्रबन्धक द्वारा दिये र्न्दि ा वि ोश के अन्तर्गत ही किया जायेगा।

2.7 निविदाकर्ता द्वारा ट्रक चैसिस पानी के टैंकर पर वैध लाईसेंस धारक कुशल, अनुशासित एवं भाारीरिक रुप से स्वस्थ्य वाहन चालक उपलब्ध करवाना ।

2.8 निविदाकर्ता द्वारा उपलब्ध करवाया गया ट्रक चैसिस पर बना पानी का टैंकर मोटर व्हीकल एक्ट के तहत प्रत्येक समय अच्छी स्थिति में सडक पर चलने योग्य, स्वच्छ एवं दुरुस्त होना चाहिए ।

3-0 कार्य की मात्रा

3.1 न्यूनतम स्प्रिंकलरयुक्त 10,000 लीटर अथवा इससे अधिक क्षमता वाले ट्रक चैसिस पर बने पानी के टैंकर के पानी परिवहन के प्रस्तावित कार्य की प्रतिमाह संख्या निम्नानुसार रहेगी –

i) पीने के पानी हेतु संख्या – 60 टैंकर प्रतिमाह
ii) पानी के छिड़काव हेतु संख्या – 40 टैंकर प्रतिमाह
iii) पेड. पौधें पानी पिलाने हेतु संख्या – 60 टैंकर प्रतिमाह
कुल संख्या – 160 टैंकर प्रतिमाह

उपरोक्त कार्य की मात्रा सांकेतिक मात्र हैं। परन्तु इसमें जरुरत के अनुसार कमी अथवा वृद्धि की जा सकती है जिसका भुगतान किये गये कार्य की वास्तविक संख्या के आधार पर ठेके की निर्धारित कार्य की दरों {क्रम संख्या 1 से 3, मूल्य भाग (द्वितीय भाग)} के अनुसार किया जायेगा ।

कुल कार्य की 90 पति ात पानी का परिवहन/ सप्लाई रामगढ स्थित आई. जी.एन.पी. नहर की सागरमल गोोपा भााखा/रामगढ स्थित पी.एच.ई.डी. हाईड्रन्ट से व 10 पति ात पानी का परिवहन पी.एच.ई.डी. ट्यूबवेल, सानु गांव से किया जायेगा ।

4-0 निविदा प्रस्तुत करने हेतु न्यूनतम पात्रता

केवल वो निविदाकर्त्ता ही निविदा भरने के पात्र होंगे जो निम्नलिखित शर्तों का पूर्ण रूप से पालन करते है।

4.1 विगत तीन वर्षो में किसी भी एक वर्ष में स्वयं की अथवा साझेदार की टर्न ओवर कम से कम रूपये 5.65 लाख होना चाहिये ।

निविदाकर्त्ता को उपरोक्त सूचना निविदा प्रपत्र के परिशिष्ट–1 में दिये गये निर्धारित प्रारूप में देनी अनिवार्य है। तथा इसके पक्ष में आव यक दस्तावेजों की सत्यापित प्रतिलिपियां निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न करनी होगी। निविदाकर्त्ता निविदा प्रस्तुत करने से पूर्व यह सुनि चत कर ले कि उनके द्वारा उपरोक्त समस्त वांछित दस्तावेज निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न कर दिये गये है। केवल उन्हीं निविदाकर्त्ताओं की कार्य दरें खोली जायेगी, जो उपर दी पात्रता का पूर्ण रूप से पालन करते है। परि ाष्ठ 1 में भरे गये पंजीकृत सं. वाले वाहन को ही कार्य हेतु स्वीकार किया जायेगा।

5-0 ट्रक चैसिस टैंकर का स्वामित्व

5.1 ट्रक चैसिस टैंकर वर्ष मॉडल 2007 या बाद का खुद के स्वामित्व का होना चाहिए ।

5.2 उपरोक्त क्लाज 5.1 के अनुरुप, स्वयं का स्प्रिंकलरयुक्त ट्रक चैसिस पर बना पानी का टैंकर उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में निविदाकर्ता को एक शपथपत्र देना होगा कि उसके पक्ष में कार्य स्वीकृत होने पर वह कार्यादेश

जारी होने की तिथि से 15 दिन के अन्दर उक्त वाहन उपलब्ध करवा देगा तथा क्लाज 7(द) के अनुसार प्रस्तावित ट्रक चैसिस पर बना पानी का टैंकर सम्बन्धित सभी विवरण इस कार्यालय को सूचित करेगा, अन्यथा कम्पनी को उसकी धरोहर राशि जब्त करने का अधिकार होगा ।

5.3 निविदाकर्ता, स्प्रिंकलरयुक्त ट्रक चैसिस पर बना पानी का टैंकर का स्वामित्व कार्यावधि के दौरान किसी भी अवस्था में लीज–डीड/पॉवर आफ अटोर्नी/ ट्रान्सफर डीड अथवा अन्य माध्यम के जरिये किसी अन्य व्यक्ति/संस्था इत्यादि को हस्तान्तरण नहीं करेगा । ऐसा करने पर प्रबन्धन को अनुबन्ध समाप्त करने का पूर्ण अधिकार होगा ।

6-0 धरोहर राशि

6.1 निविदा प्रपत्र जमा कराने के साथ निविदा सूचना में दी गई रू 57600/– (रूपये सत्तावन हजार छः सौ मात्र) की राशि का डिमाण्ड ड्राफ्ट धरोहर राशि के रूप में, जो कि आर0 एस0 एम0 एम0 लि0, जैसलमेर के नाम से देय हो।

6.2 धरोहर राशि किसी अन्य रूप में स्वीकार नहीं की जावेगी ।

6.3 बिना वांछित धरोहर राशि के निविदा प्रपत्र स्वीकार नहीं किये जाऐंगे।

6.4 धरोहर राशि पर कोई ब्याज देय नहीं होगा ।

6.5 असफल निविदाकर्ताओं की धरोहर राशि सफल निविदाकर्ता को कार्य आदेश दिये जाने तथा कार्यारम्भ करने के पश्चात् लौटा दी जाएगी तथा इस राशि पर कोई ब्याज देय नहीं होगा ।

6.6 सफल निविदाकर्तो की धरोहर राशि को अमानत राशि में समायोजित किया जा सकेगा ।

6.7 अगर सफल निविदाकर्ता कार्यादेश जारी करने के पश्चात् पन्द्रह दिनों में कार्यारम्भ नही करता है तो उसका कार्यादेश निरस्त कर धरोहर राशि जब्त कर ली जाएगी तथा ऐसे निविदाकर्ता भविष्य में कम्पनी की किसी निविदा में भाग नहीं ले सकेंगे ।

7-0 निविदा प्रपत्र को भरना

7.1 निविदाकर्ता कार्य के सम्बन्थ में निविदा प्रपत्र भरने से पूर्व स्वयं को पूर्ण रूप से आश्वस्त करले। निविदा प्रपत्र खोलने के बाद किसी भी प्रकार की अनभिज्ञता एवं आपत्ति/संशोधन स्वीकार नहीं किया जाएगा। निविदा में निविदाकर्ता द्वारा लिखी गई किसी भी प्रकार की शर्त स्वीकार नहीं होगी एवं ऐसी परिस्थिति में निविदाकर्ता द्वारा भरी गयी निविदा को

निरस्त भी किया जा सकता है । निविदा हिन्दी या अंग्रेजी भाशा में भरी जानी चाहिए।

7.2 निविदाकर्ता को निविदा प्रपत्र की भार्तों की स्वीकृती हेतु प्रत्येक पृष्ठ पर अपने पद के साथ दिनांक लगाकर हस्ताक्षर करना अनिवार्य है ।

7.3 अपूर्ण, अस्पष्ट, अपाठ्य तथा भार्तो के साथ भरी गई निविदा स्वीकृत नहीं की जाएगी ।

7.4 प्रबन्धन के पास बिना कोई कारण बताए किसी एक अथवा समस्त निविदाओं को निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा ।

7.5 निविदा दो भागों में भरनी होगी, जो कि निम्न प्रकार से हैः–

- प्रथम भाग – तकनीकी वाणिज्यिक (Techno commercial Part)
- द्वितीय भाग – कार्य की दरें (Rate Part)

निविदाकर्ता अपनी निविदा दोनों भागों के लिए अलग अलग लिफाफे में सील बंद करके प्रस्तुत करेगा तथा दोनों लिफाफों पर स्पष्ट रूप से भाग का नाम, निविदा संख्या, निविदा खोलने की तारीख, निविदाकर्ता का नाम व पता लिख कर दोनों को एक अन्य तीसरे लिफाफे में सील कर निर्धारित तिथि को अपरान्ह 3.00 बजें तक कंपनी के खनिज भवन, जैसलमेर कार्यालय में प्रस्तुत करेगा। निर्धारित तिथि को 3.30 बजें अपरान्ह उपस्थित निविदाकर्ताओं या उनके प्रतिनिधियों (स्वयं के उपस्थित न होने पर प्रतिनिधित्व का प्रमाण पत्र वांछित है) के समक्ष खनिज भवन, जैसलमेर स्थित कार्यालय में निविदा का प्रथम तकनीकी–वाणिज्यिक भाग खोला जाएगा। इसके पश्चात कम्पनी द्वारा प्राप्त निविदाओं के तकनीकी वाणिज्यिक भाग का परीक्षण किया जाकर तथा इसमें न्यूनतम पात्रता वाले योग्य निविदाकर्ताओं को सूचीबद्ध किया जाएगा । ऐसी सूचीबद्ध निविदाकर्ताओं का ही द्वितीय भाग (कार्य की दरों से संबंधित) खोला जाएगा। योग्य निविदाकर्ताओं को द्वितीय भाग खोलने की तिथि के बारे में अलग से पत्राचार या अन्य माध्यम से अवगत करा दिया जाएगा ।

7.6 **<u>प्रथम तकनीकी – वाणिज्यिक भाग</u>**

इसमें निविदाकर्ताओं को निम्न दस्तावेज प्रस्तुत करने आवश्यक हैं:–

अ. <u>निविदाकर्ता के संबंध में</u>

i) निविदाकर्ता का नाम, पता, टेलिफोन नं0 इत्यादि की जानकारी प्रारूप परिशिष्ट–1 में संलग्न करना आवश्यक है। यदि निविदा किसी फर्म द्वारा भरी जाती है तो निविदा प्रपत्र उसके अधिकृत भागीदार (पार्टनर) द्वारा हस्ताक्षरित होनी चाहिए। ''भगीदार करार'' निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न करें।

ii) निविदाकर्ता द्वारा निविदा भरकर जमा कराने पर यह माना जायेगा कि उसने निविदा की सभी भार्तें, प्रतिबन्ध तथा अन्य समस्त बातें अच्छी तरह समझ ली हैं। तत्पश्चात् निविदाकर्ता का कोई भी अतिरिक्त भुगतान का दावा इस बहाने मान्य नहीं होगा कि निविदा का कोई विशे ा बिन्दु उसे स्पश्ट नहीं था।

iii) निविदाकर्त्ता के पास प्रस्तावित ट्रक चैसिस पर बने टैंकर (क्लाज 2.1 के अनुरुप) उपलब्ध न होने पर प्रपत्र परिशिष्ठ–4 के अनुसार 100 रूपये के गैर न्यायिक स्टाम्प पर शपथ पत्र प्रस्तुत करना आव यक होगा कि यदि मेरे पक्ष में कार्य स्वीकृत होता है तो मैं 15 दिवस के अन्दर–अन्दर प्रस्तावित कार्य हेतु प्रस्तावित स्प्रिंकलरयुक्त ट्रक चैसिस पर बने टैंकर खरीद कर उसके समस्त कागजात तैयार कर कम्पनी में प्रस्तुत करने की घोषणा करनी होगी ।

iv) निविदाकर्ता को कम से कम रु. 5.65 लाख का कारोबार चार वर्ष क्रम ाः 2011–12, 2012–13, 2013–14 अथवा 2014–15, में से किसी एक वर्ष में कारोबार किये जाने का प्रमाण पत्र संलग्न करना आव यक है। इसके पक्ष में सक्षम अधिकारी द्वारा सत्यापित दस्तावेज (बेलेन्स शीट, टीडीएस सर्टिफिकेट, इन्कम टैक्स रिटर्न इत्यादि) संलग्न करना आवश्यक है ।

v) निविदाकर्ता अपने स्वयं के बारे में इस आ ाय का एक भापथ–पत्र नोटेरी पब्लिक से प्रमाणित करवाकर प्रस्तुत करेगा कि केन्द्रीय/ राज्य सरकार और किसी भी सरकारी या निजी उपक्रम के साथ उसके द्वारा निष्पादित किये गये कार्य के बारे में उसका कोई विवाद लंबित नहीं है।

vi) पेनकार्ड, सर्विस टैक्स व एमएसएमईडी रजिस्ट्रेशन (एमएसएमईडी एक्ट 2006–यदि लागू हो तो) से संबंधित सत्यापित दस्तावेज की फोटो प्रति ।

vii) पी.एफ. खाता नम्बर की फोटो प्रति या शपथ पत्र (परिशिष्ठ–5) प्रस्तुत करना होगा।

iv) राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 एवम् राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम, 2013 की अनुपालना में निविदा प्रपत्र में निम्न ऐनेक्सर्स संलग्न किए हैंः–

Annexure-A:	Compliance with the code of Integrity and No Conflict of Interest.
Annexure-B:	Declaration by the Bidder regarding Qualifiations.
Annexure-C:	Grievance Redressal during Procurement process & form No. 1.
Annexure-D:	Additional Conditions of Contract.

नोट:Annexure-B में निविदाकर्ता द्वारा घोशणा किया जाना आवश्यक है।

ब. वांछित धरोहर राशि का डिमाण्ड ड्राफ्ट।

स. पूर्ण रूप से भरा निविदा प्रपत्र (निविदाकर्ता के प्रत्येक पृष्ठ पर अपने पद के साथ दिनांक लगाकर हस्ताक्षर मय मोहर) ।

द. **<u>ट्रक चैसिस पर बने टैंकर के संबंध में :–</u>**

निविदाकर्ता के पास स्वयं अथवा स्वयं की फर्म अथवा कम्पनी के नाम उपलब्ध प्रस्तावित स्प्रिंकलरयुक्त ट्रक चैसिस पर बने टैंकर ठेके मे उपलब्ध कराने का विवरण प्रारूप परिशिष्ट–2 आव यक रुप से दे तथ प्रस्तावित ट्रक चैसिस पर बने पानी के टैंकर के निम्न दस्तावेज प्रस्तुत करने आव यक हैंः–

i) रजिस्ट्रेशन की सत्यापित फोटो प्रति ।
ii) कंपनी में लगाए जाने वाले प्रस्तावित वाहन के अंदर से तथा बाहर से लिए गए फोटो चित्र ।
iii) वाहन के कम्प्रेहेंसिव बीमे की सत्यापित फोटो प्रति ।
iv) वाहन के रोड परमिट की सत्यापित फोटो प्रति ।
v) वाहन के चुकता रोड टैक्स इत्यादि की सत्यापित फोटो प्रति ।
vi) वाहन के लिए परिवहन विभाग द्वारा जारी किए गए फिटनेस प्रमाण–पत्र की सत्यापित फोटो प्रति ।

उपरोक्त **अ** से द बिन्दु मिलकर तकनीकी –वाणिज्यिक भाग होगा ।

7-7 <u>द्वितीय भाग–कार्य की दरें (Rate Part)</u>

i) कार्य की दरें परिशिष्ट 3 में भरनी है जो कि अलग लिफाफे में बन्द कर प्रस्तुत करनी होगी ।

ii) प्रबंधन के पास बिना कोई कारण बताए किसी एक अथवा समस्त निविदाओं को निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा ।

8-0 <u>न्यूनतम निविदा दर का निर्धारण</u>

सफल निविदाकारों के दर प्रस्ताव का कम्पनी द्वारा मूल्यांकन किया जावेगा । निविदाकारों के न्युनतम दर का निर्धारण स्प्रिंकलरयुक्त 10,000 लीटर अथवा इससे अधिक क्षमता वाले ट्रक चैसिस पर बना पानी का टैंकर प्रति ट्रिप के आधार द्वितीय भाग–परिि ाष्ट 3 के (क्र0 सं0 1 से 2) पर भरी गई कार्यो की दर पर निम्नानुसार न्यूनतम प्रस्ताव (L_1) को ही कम्पनी द्वारा स्वीकार किया जायेगा तथा उसी को ही कम्पनी द्वारा इस निविदा का कार्य आदेश जारी किया जावेगा । इन दर प्रस्ताव के बराबर (समान) प्राप्त होने पर परिि ाष्ट 3 के क्र0 सं0 3 के कार्य के लिये प्राप्त न्यूनतम दर, न्यूनतम निविदा प्रस्ताव निर्धारण का आधार बनेगी ।

न्यूनतम निविदाकर्ता के द्वितीय भाग–परिशिष्ट 3 के क्र0 सं0 3 के कार्य की दर हेतु भरी गई न्यूनतम दर को L_1 का आधार नहीं माना जायेगा।

न्यूनतम निविदाकर्ता की दर = {(A x 144) + (B x 16)}

<u>नोटः–</u>

- **क्र0 सं0 1 के कार्य की दर = A**
- **क्र0 सं0 2 के कार्य की दर = B**
- प्रस्तावित कार्य की संख्या =**160 टैंकर ट्रिप प्रतिमाह**
- कार्य की सांकेतिक मात्रा= **क्र0 सं0 1** हेतु **90 %** एवं **क्र0 सं0 2** हेतु **10 %**

न्यूनतम निविदाकर्ता को कार्य हेतु दर को युक्तिसंगत (rationalized) बनाने के लिए अन्य योग्य निविदाकारों के द्वारा (द्वितीय भाग–परिि ाष्ट 3 के कार्य हेतु) भरी गई न्यूनतम दर के समरूप करना आव यक होगा। सफल निविदाकर्ता द्वारा इस दर पर कार्य करने की सहमति देना अनिवार्य होगा। बभार्त वे दरें उसके स्वयं के द्वारा भरी गयी दरों से कम हों ।

9-0 <u>**नेगोशियेशन :**</u>

9.1 कम्पनी द्वारा केवल न्यूनतम दर प्रस्ताव (L_1) देने वाले निविदाकर्ता से नेगोशियेशन किया जा सकता है। न्यूनतम दर प्रस्ताव देने वाले निविदाकर्ता के दर प्रस्ताव को उपयुक्त न पाने की अवस्था में कम्पनी प्रबन्धन लिखित काउन्टर ऑफर द्वारा न्यूनतम निविदाकर्ता को अपना प्रस्ताव देने पर विचार कर सकती है और यदि यह प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया जाता है तो कम्पनी या तो निविदा प्रक्रिया को निरस्त कर पुनः निविदा आमंत्रित करेगी अथवा उसी काउन्टर आफर को द्वितीय न्यूनतम दर प्रस्ताव देने वाले निविदाकर्ता (L_2) को तत्पश्चात् तृतीय न्यूनतम दर प्रस्ताव देने वाले निविदाकर्ता (L_3) को एवं दर प्रस्ताव प्रक्रिया के उपरोक्त क्रमानुसार दिया जावेगा । जो भी निविदाकर्ता इस प्रक्रिया के अनुसार काउन्टर आफर स्वीकार करेगा उसे कार्य आदे ा कम्पनी द्वारा जारी किया जा सकता हे।

9.2 अगर निविदाकर्ता द्वारा नेगोि ाये ान के दौरान दिया हुआ प्रस्ताव उसके प्रारम्भिक दर प्रस्ताव से अधिक है तब भी निविदाकर्ता पूर्व में भरी हुई कम दर प्रस्ताव पर कार्य करने हेतु बाध्य होगा।

9.3 नेगोशियेशन के दौरान निविदाकर्ता के प्रतिनिधि को निविदाकर्ता द्वारा लिखित सहमति/ अधिकार पत्र (written authority) प्रस्तुत करना होगा जिसमें कि यह स्प ट वर्णित होगा कि उसका प्रतिनिधि निविदा प्रपत्र में भरी हुई

दर प्रस्ताव को संशोधित/बदलने के लिए प्राधिकृत है। इसमें निविदाकर्ता को किसी प्रकार का उज्र नहीं होगा।

10-0 निविदा प्रस्ताव (दरों) की मान्यता

निविदा का प्रस्ताव (दरें) निविदा खोलने की तिथि से 120 दिवस (4 माह) तक मान्य होंगे । इस समय सीमा में निविदाकर्ता निविदा को न तो रद्द कर सकता है, न ही वापस ले सकता तथा न ही इसमें किसी प्रकार का परिवर्तन कर सकता है। ऐसा करने पर निविदाकर्ता की धरोहर राशि (अर्नेस्ट मनी) जब्त कर ली जावेगी।

11-0 कार्य अवधि

कार्य की अवधि कार्य आदेश जारी होने की तिथि से दो वर्श के लिए होगी । निविदाकर्ता को कार्यादेश/ एल0ओ0ए0 मिलने के 15 दिन के भीतर 10,000 लीटर अथवा इससे अधिक क्षमता वाले ट्रक चैसिस पर बना पानी का टैंकर मय चालक स्टाफ उपलब्ध करवाना आव यक होगा

12-0 अमानत राशि

12.1 अमानत राशि कुल अनुबन्धित राशि (total contract value) की दस प्रतिशत होगी।

12.2 धरोहर राशि का समायोजन करने के प्श्चात् बकाया राशि डिमाण्ड ड्राफट के रूप में कार्य आदेश/सहमति पत्र एल0ओ0ए0 देने के तीस दिन के अन्दर जमा करानी आव यक होगी । कम्पनी चाहे तो उक्त अमानत राशि दो भागों में जो कि पांच प्रतिशत तीस दिवस के अन्दर एवं भोष राशि प्रतिमाह के बिलों में से पांच प्रतिशत की दर से समायोजित की जा सकेगी।

12.3 अगर अनुबन्धकर्ता कार्य प्रारम्भ करने में असफल रहता है तो कम्पनी अपने निर्णय से अमानत राशि को आंशिक या पूर्ण रूप से जब्त कर सकेगी।

12.4 कम्पनी को पूर्ण अधिकार होगा कि अनुबन्धकर्ता का कार्य संतोषजनक नहीं होने की स्थिति में अथवा किसी प्रकार की हानि अथवा अनियमितता से होने वाले नुकसान की क्षतिपूर्ति अमानत राशि में से की जा सकेगी। ऐसी कटौती के परिणाम स्वरूप यदि अमानत राशि में कोई कमी होती है तो उसकी पूर्ति अनुबंधकर्ता के मासिक बिलों के भुगतान में से की जा सकेगी।

12.5 अनुबंध के समाप्त होने के बाद अमानत राशि का भुगतान सामान्यतः तीन माह के प्श्चात कर दिया जाएगा। अनुबन्धकर्ता को कार्य पूरा करने पर, अनुबन्ध समाप्ति की कार्यवाही हेतु निम्नलिखित प्रमाण–पत्र स्वयं के लेटरहेड/स्टांप पेपर नामित अधिकारी को प्रस्तुत करने होंगे।

i) रूपये 100/– के गैर न्यायिक स्टाम्प पेपर पर निर्धारित प्रारूप में ''जनरल सर्टिफिकेट ऑफ इम्डेमनीफिकेशन'' जो कि नोटेरी द्वारा सत्यापित हो।
ii) ''नो ड्यूज सर्टिफिकेट'' (स्वयं के लेटरहेड पर)
iii) ''नो क्लेम सर्टिफिकेट'' (स्वयं के लेटरहेड पर)
iv) लेबर डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट (स्वयं के लेटरहेड पर) , जो कि इस बात का प्रमाण होगा कि निविदाकर्ता ने अनुबन्ध के दौरान किसी भी प्रकार का ुल्क, कर्मचारियों के वेतन भत्ते, सभी प्रकार की कटौतियां या अन्य भुगतान इत्यादि कर दिया है।
v) अनुबन्ध के दौरान 'कार्य के संसतोषप्रद रूप से पूर्ण करने का 'प्रमाण–पत्र' जो कि कत्पनी के नामित अधिकारी द्वारा जारी किया गया हो।
vi) 'नो ड्यूज सर्टिफिकेट' जो कि कम्पनी के क्रय एवं भण्डार विभाग के विभागाध्यक्ष द्वारा जारी किया गया हो।
vii) ''अन्तिम बिल''

उपरोक्त समस्त प्रमाण पत्र नामित अधिकारी को प्रस्तुत करने के बाद ही अनुबन्ध समाप्ति की कार्यवाही प्ररम्भ करना सम्भव होगा एवं सक्षम अधिकारी द्वारा अनुबन्ध समाप्ति की स्वीकृति के पश्चात् ही अन्तिम बिल एवं सिक्युरिटी डिपोजिट का भुगतान किया जायेगा। सिक्युरिटी डिपोजिट पर किसी भी प्रकार का ब्याज देय नहीं होगा।

12.6 अमानत राशि पर अनुबंध के दौरान कोई ब्याज देय नहीं होगा।

13-0 बिलों का भुगतान

13.1 किये गये कार्य का भुगतान महीने में एक बार किया जायेगा। जिसके लिए बिल दो प्रतियों में प्रत्येक माह की समाप्ति पर नामित अधिकारी को प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। सामान्यतया बिल प्रेस्तुत करने के 15 (पन्द्रह) दिन के अन्दर चेक द्वारा भुगतान करने का प्रावधान है।

13.2 मासिक बिल के साथ पी.एच.ई.डी., रामगढ. द्वारा पानी के क्रय का पूर्ण भुगतान की जारी की गई मूल रसीद प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

13.3 साधारणतः मासिक बिलों का भुगतान; वैधानिक कटौतियॉ करने के बाद, बिल प्रस्तुत करने के पन्द्रह दिन की अवधि के अन्दर रेखांकित चैक के द्वारा कर दिया जाएगा। सेवा कर जमा करवाने का दायित्व निविदाकर्ता

का होगा सेवा कर का पुर्नभरण सेवा कर जमा कराने के तथ्यात्मक प्रमाण प्रस्तुत करने के आधार पर ही किया जायेगा ।

13.4 प्राकृतिक आपदा अथवा किन्हीं अपरिहार्य कारणों से ट्रक चैसिस पर बना पानी का टैंकर उपयोग नहीं होने पर, ऐसी अवधि का कोई भुगतान अथवा क्षतिपूर्ति या अन्य किसी प्रकार के दावे की राशि कम्पनी द्वारा देय नही होंगी ।

14-0 कार्य की दरें

14.1 सामान्यतः अनुबंध के दौरान कार्य की दरें अपरिवर्तनीय रहेगी।

14.2 दरें सभी प्रकार के खर्चे जैसे कि डीजल, आयल, लुब्रिकेन्टस, स्पेयर पार्ट्स, कर्मचारियों का वेतन, भत्ते, रोड टेक्स, परमिट व बीमा व सरकार द्वारा समय समय पर लगाये गये कर (सेवा कर रहित) सहित होगी तथा इनमें किसी भी प्रकार की वृद्धि की द ाा में अपरिवर्तनीय होगी।

14.3 डीजल की दरों में परिवर्तन होने पर

यदि डीजल की दरों में संविदा की अवधि के दौरान कोई परिवर्तन किया जाता है अर्थात् जैसलमेर में डीजल रिटेल बिक्री की दरों में बढ़ोतरी या कमी होती है तो निम्नलिखित फार्मूले (सूत्र) के अनुसार संविदा में वर्णित देय दरों में बढ़ोतरी अथवा कमी की जा सकेगी । वृद्धि अथवा कमी (एस्केलेशन अथवा डिएस्केलेशन) की गणना करने के लिये डीजल की मूल दर निविदा की प्रस्तुति दिनांक को लागू दर, जोकि संबंधित इकाई प्रमुख द्वारा प्रमाणित हो, के आधार पर मान्य होगी । प्रत्येक माह के प्रथम दिवस को प्रचलित डीजल दर उस माह के लिए लागू रहेगी । किसी माह के बीच में डीजल की दरों में होने वाली घटत बढ़त का उस माह में देय दरों पर कोई प्रभाव नहीं होगा ।

ट्रक चैसिस पानी के टैंकर प्रति ट्रिप की नियत दर में परिवर्तन हेतु –

डीजल की दर में वृद्धि/कमी की स्थिति में कार्य करने की

i) **रामगढ नहर या रामगढ़ कस्बे में स्थित पी. एच. ई. डी. हाईड्रेट से पानी लाकर विभिन्न कार्य निष्पादित करने की स्थिति में–**

प्रति ट्रिप की परिवर्तित दर = A + (7xB)

नोटः–

- डीजल दर में वृद्धि/कमी से पूर्व कार्य करने की दर = A

- डीजल की प्रति लीटर दर में वृद्धि (+)/कमी(–) = B
- कार्य की सांकेतिक डीजल मात्रा=7 liter/trip

ii) **सानू ग्राम स्थित पी.एच.ई.डी. ट्यूबवेल से पानी लाकर विभिन्न कार्य नि�पादित करने की स्थिति में–**

प्रति ट्रिप की परिवर्तित दर = A + (2xB)

नोटः–

- डीजल दर में वृद्धि/कमी से पूर्व कार्य करने की दर = A
- डीजल की प्रति लीटर दर में वृद्धि (+)/कमी(–) = B
- कार्य की सांकेतिक डीजल मात्रा=2 liter/trip

iii) **सानू माइन्स स्थित रिजर्वायर या पानी के हाइड्रेट पर उपलब्ध पानी को प्रयोग लेकर विभिन्न कार्य निश्पादित करने की स्थिति में–**

प्रति ट्रिप की परिवर्तित दर = A + B

नोटः–

- डीजल दर में वृद्धि/कमी से पूर्व कार्य करने की दर = A
- डीजल की प्रति लीटर दर में वृद्धि (+)/कमी(–) = B
- कार्य की सांकेतिक डीजल मात्रा=1 liter/trip

(जैसलमेर में डीजल की स्थिर दर रु. 56.46 प्रति लीटर है।)

14.4 ट्रक चैसिस पर बना पानी का टैंकर हेतु औसत किलोमीटर प्रति लीटर 5 किलोमीटर प्रति लीटर होगा तथा यह औसत अनुबन्ध अवधि एवं अनुबन्ध बढ़ाई गई अवधि के दौरान लागू होगा तथा सम्पूर्ण अवधि के दौरान अपरिवर्तनीय होगा ।

14.5 अनुबन्ध अवधि के दौरान यदि डीजल की दरों में किसी प्रकार की वृद्धि /कमी होती तो कार्य करने की परिवर्तित दर अगले माह की पहली तारीख से सम्पूर्ण माह के लिए मान्य होगी। माह के बीच में होने वाली घटत ब़ढ़त का कोई प्रभाव नहीं माना जावेगा ।

14.6 उपरोक्त घटत बढ़त केवल डीजल की दरों में परिवर्तन होने पर ही उपर्युक्तानुसार लागू होगी । किसी अन्य सामग्री जैसे स्पेयर पार्ट्स, ऑयल एवं कर्मचारियों के वेतन इत्यादि की दरों में होने वाली घटत बढ़त का इस पर कोई प्रभाव नहीं होगा ।

15-0 सामान्य शर्ते

15.1 सफल निविदाकर्ता अपने द्वारा प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से नियोजित कर्मचारियों के कृत्यों (Acts & Deeds) के लिये उत्तरदायी होगा।

15.2 निविदाकर्ता अपने कार्य निष्पादन से संबधित सभी वैधानिक नियम व उपनियमों की पालना करेगा। सभी नियम व उपनियम जो कि वर्तमान में लागू हैं, एवं भविष्य में लागू किये जाएंगे, की भी अनुपालना करेगा।

15.3 निविदाकर्ता अपने कार्य निष्पादन से संबधित सभी दायित्वों, देनदारियों जो कि ड्राईवरों, कामगारों और कोई तृतीय पक्ष के मजदूर एवं नियोजित कर्मचारियों को किसी भी नियम एवं उपनियम के तहत देय होगी, से कंपनी को मुक्त रखेगा।

15.4 निविदाकर्ता खान अधिनियम 1952, कर्मचारी क्षतिपूर्ति अधितियम 1923 कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम 1952, बोनस एक्ट 1966, ग्रेच्युटी एक्ट 1971, मोटर वाहन अधिनियम 1939, मोटर यातायात कर्मचारी अधिनियम 1961, भुगतान अधिनियम 1936, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948, भारतीय रेट अधिनियम 1810, फेटल एक्सीडेन्ट एक्ट 1855, औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947, राज्य कर्मचारी बीमा अधिनियम 1948, ;कॉन्ट्रक्ट लेबर रेगुलेशन एण्ड एबोलिशन एक्ट 1970 एवं इन समस्त अधिनियमों के अन्तर्गत दिये गये उपबन्धों, नियमों, उपनियमों का पालन करने के लिए बाध्य होंगे ।

15.5 सफल निविदाकर्ता कर्मचारियो से सम्बन्धित कर्मकार क्षतिपूर्ति अधिनियम 1923, मोटर वाहन एक्ट 1939, फेटल एक्सीडेन्ट एक्ट 1855 के अन्तर्गत दिये गये नियमों, उपनियमों समय समय पर किये गये सं ाोधनो का निर्वहन नहीं किये जाने पर उसके परिणाम स्वरूप कर्मचारियों अथवा अन्य व्यक्तियों को होने वाली क्षतिपूर्ति के लिए पूर्ण रूप से जिम्मेदार रहेंगे।

15.6 अनुबंध लागू होने की स्थिती में ठेकेदारों को कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम और उसके अंतर्गत बनी हुई योजनाएं/नियमों और ठेकेदार द्वारा नियोजित कामगारों पर लागू होने वाले सभी नियमों/अधिनियमों के अंतर्गत अपना अंशदान जमा कराने का दायित्व होगा। ठेकेदार ऐसे कर्मचारियों से उनका अंशदान वसूल करेगा और अपने अंशदान; भविष्यनिधि अधिनियम के अंतर्गत मुख्य नियोक्ता के साथ साथ अपने अंशदान की बराबर राशि के साथ कंपनी में जमा कराएगा। ठेकेदार द्वारा चूक होने की स्थिती में कंपनी को वह रा ि ा ठेकेदार की ओर से जमा करानी होगी। ठेकेदार उस राशि का कंपनी को पुनर्भरण के लिए बाध्य होगा। कंपनी ठेकेदार की ओर से किये गए ऐसे अंशदान की राशि के समायोजन के लिए अधिकृत होगी। ठेकेदार ऐसे रिकार्ड के रखरखाव

और नियमों के अंतर्गत संबंधित अधिकृत अधिकारियों को नियमित प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए बाध्य होगा। कंपनी के अधिकारियों द्वारा निरिक्षण हेतु मांगने पर ऐसे समस्त रिकार्ड एवं प्रतिवेदन को ठेकेदार उपलब्ध कराएगा। श्रमिकों से संबधित समय–समय पर राज्य सरकार द्वारा बनाए गये नियमों/अधिनियमों जैसे श्रमिकों को वेतन का भुगतान, वेतन भुगतान अवधि, अनाधिकृत कटोतियां, वेतन बुक एवं पर्चियों, वेतन की सूचना का प्रका ान और नियोजन की अन्य भार्तें, निरीक्षण एवं अवधिपरक प्रतिवेदनों का प्रेषण एवं अन्य संबंधित मामले की पूर्ण पालना करेगा

i) राज्य सरकार/सरकारी विभाग या किसी न्यायिक आदे ा की अनुपालना में अथवा प्राकृतिक आपदा या अन्य किसी अपरिहार्य कारणों से विभाग को खनन प्रक्रिया या उससे जुड़े कार्य बन्द करने पड़ते हैं तथा उसी क्रम में यदि टैंकर का उपयोग नहीं किया जाता है अथवा कम्पनी को बिना पूर्व सूचना के यह अनुबन्ध समाप्त करना पड़ता है तो निविदाकर्ता ऐसी स्थिति में किसी भी प्रकार के क्षतिपूर्ति दावे या हर्जाने का हकदार नहीं होगा।

16-0 <u>कार्य करने के लिए विषेश भार्तें एवं प्रतिबन्धः</u>

16.1 नियमित कार्य संचालन हेतु दिशा–निर्देशः

i) सामान्यतया टैंकर का कार्य समय माह के प्रत्येक दिन सूर्योदय से सूर्यास्त के मध्य रहेगा। वृक्षारोपण की सिंचाई हेतु स्टाफ विभाग द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा। परन्तु कम्पनी की आव यकता अनुसार अनुबन्धकर्ता को टैंकर रात्रि के समय में भी बिना किसी अतिरिक्त चार्ज के उपलब्ध कराना होगा। खान पर त्यौहारों एवं अन्य सवैतनिक अवकाश होने की की स्थिति में टैंकर का प्रयोग सम्भव नहीं होगा तथा इसके लिए कोई क्षतिपूर्ति देय नहीं होगी। इसी प्रकार बरसात के मौसम में वृक्षारोपण सिंचाई की आवश्यकता न होने पर टैंकर का प्रयोग अन्य कार्यों में लिया जा सकता है, लेकिन यदि अन्य कार्य हेतु टैंकर की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है तो किसी प्रकार की आइडल रेट का भुगतान सम्भव नहीं हो सकेगा, क्योंकि टैंकर को मुख्य रूप से वृक्षारोपण की सिंचाई हेतु लगाया जाना है।

ii) सामान्यतया पानी रामगढ़ नहर से उपलब्ध कराना होगा। चूँकि वर्तमान में विभाग द्वारा नहर से पाइप लाइन के द्वारा सीधे माइन्स तक लाने का कार्य प्रगति पर है तथा यदि यह कार्य अनुबन्ध अवधि में पूर्ण हो जाता है तथा पर्याप्त पानी माइन्स पर उपलब्ध होता है तो अनुबन्धकर्ता को समस्त कार्य हेतु पानी सानू माइन्स के हाइड्रेट से लेना अनिवार्य होगा, जिसके लिए अलग से दर भरी जाये। परन्तु खान पर पानी उपलब्ध न होने की स्थिति में कम्पनी की आवश्यकतानुसार पानी रामगढ़ नहर या

रामगढ़ कस्बा स्थित पी. एच. ई. डी. हाईड्रेट अथ्वा सानु ट्यूबवेल से लाकर समस्त कार्य करने होंगे। इस कार्य के लिए अलग दर देय होगी।

जिसे संलग्न परिशि ट '3' में अलग से भरा जावे। मानसून व वर्श के अन्य मौसम में वर्शा होने की स्थिति में यदि टैंकर की आवश्यकता पौधों की सिंचाई हेतु प्रतीत नहीं होती तो ऐसी स्थिति में किसी प्रकार की आइडल रेट का भुगतान नहीं होगा, क्योंकि टैंकर का मुख्य कार्य वृक्षारोपण की सिंचाई है।

iii) निविदाकर्ता प्रत्येक पाली के अन्त में पाली प्रबन्धक को लॉगबुक भरकर प्रस्तुत करेगा, जिसमें पाली के दौरान किये गये विभिन्न कार्यों की सम्पूर्ण विस्तृत जानकारी होगी। इसके अतिरिक्त निविदाकर्ता को प्रतिदिन के कार्य का अलग से एक संक्षिप्त विवरण खान प्रबन्धक को उनके द्वारा निर्धारित प्रारूप में देंना होगा, जिसके आधार पर ही मासिक बिल का निर्धारण होगा। उक्त विवरण को मासिक बिल के साथ संलग्न न करने पर मासिक बिल का भुगतान लेखा विभाग द्वारा देय स्वीकार्य नहीं होगा। प्रत्येक मासिक बिल के साथ डीजल की गत माह रही दर के सम्बन्ध में जैसलमेर/रामगढ़ स्थित हिन्दुस्तान पेट्रोलियम के रिटेल आउटलेट (डीजल पम्प) से जारी एक प्रमाण–पत्र भी प्रस्तुत करना होगा, जिसमें पूरे माह के दौरान रही डीजल रिटेल दर का विवरण होना चाहिये। यदि माह के दौरान डीजल की दर में परिवर्तना होता है तो दर में परिवर्तन की तिथि, पूर्व डीजल की दर तथा डीजल की नवीन दर स्प ट रूप से लिखी होनी चाहिये। यदि माह के दौरान डीजल की दर में परिवर्तन नहीं होता है, तो उस स्थिति में भी प्रमाण–पत्र मासिक बिल के साथ प्रस्तुत करना अनिवार्य है।

iv) निविदाकर्ता प्रत्येक ट्रिप के लिये माइंस से प्रस्थान से पूर्व पाली प्रबंधक द्वारा उसके हस्ताक्षर से जारी कूपन लेगा जिस पर कार्य का स्पष्ट वर्णन होगा तथा टैंकर के भर कर आने के बाद वनज के पश्चात् संबंधित पाली प्रबंधक को रिपोर्ट कर टैंकर के पहुँचने का समय कूपन पर इन्द्राज करायेगा तथा ऐसे समस्त कूपनों को व्यवस्थित रूप से जमा कर माह के अन्त में बिल के साथ प्रस्तुत करेगा। जिसके आधार पर ही बिल का मासिक भुगतान होगा। निविदाकर्ता को यह स्पष्ट किया जाता है कि वह वाहन लॉग बुक एवं कूपनो पर नियमित रूप से पाली प्रबंधक के हस्ताक्षर करवायेगा। यदि प्रथम पाली के प्रबंधक द्वारा कूपन जारी किया जाता है तो द्वितीय पाली में आता है तो टैंकर के भरे पहुँचने का सत्यापन तथा समय का इन्द्राज द्वितीय पाली के प्रबंध द्वारा किया जा सकेगा।

v) प्रत्येक भरे हुए टैंकर को कार्य से पूर्व विभागीय कांटा (वे ब्रिज) माइन नं1 या 2 पर हर बार तुलवाना होगा, 10,000 लीटर पानी की मात्रा को

एक टैंकर माना जायेगा तथ इसी आधार पर प्रति टैंकर की दर भरी जाये। टैंकर में पानी 10,000 लीटर से कम होनें पर 10,000 लीटर प्रति टैकर को आधार मानते हुए उसी अनुपात में निर्धारित कार्य भुगतान दर में कमी की जायेगी, परन्तु पानी की मात्रा किसी ट्रिप में 10,000 लीटर से अधिक होने पर कोई अतिरिक्त भुगतान देय नहीं होगा। विषेश परिस्थितियों में (कॉंटा–तोलक की अनुपस्थिति, कॉंटे का खराब होना, कॉंटे पर ट्रकों की लम्बी लाइन होना आदि) टैंकर को कार्य से पूर्व पाली प्रबन्धक अथवा उनके द्वारा नामित अन्य किसी व्यक्ति से टैंकर के भराव को चेक करवाना होगा, जिसके लिए पानी की टंकी के पृष्ठ भाग पर अधिकतम भराव व न्यूनतम भराव स्तर पर अलग अलग आधा इंच के दो वाल्व लगाने होंगे। यदि निविदाकर्ता द्वारा नामित अधिकारी की अनुमति बगैर टैंकर को खान परिसर से बाहर ले जाया जाता है तो निविदाकर्ता के मासिक बिल/अमानत राशि से जुर्माना स्वरूप रू0 1,000/– प्रति दिन की दर से कटौती की जायेगी।

vi) बिना किसी पूर्व अनुमति के अथवा डीजल की कमी व ड्राइवर की अनुपस्थिति के कारण यदि कार्य बन्द रहता है तो जुर्माना स्वरूप निविदाकर्ता के मासिक बिल अथवा सिक्युरिटी डिपोजिट राशि में से रु0 100/– प्रति घंटा के हिसाब से कटौती की जायेगी।

vii) पानी के टैंकर के खराब होने या किन्हीं अन्य कारणों से कार्य अनियमित होने की स्थिति में निविदाकर्ता को अविलम्ब वैकल्पिक व्यवस्थ करनी होगी, अन्यथा कम्पनी उपरोक्त कार्य अपने स्तर पर निविदाकर्ता की जोखिम एवं लागत पर सम्पादित करवायेगी तथा इस पर आने वाला समस्त व्यय उसके मासिक बिल या सिक्युरिटी डिपोजिट में से काट लिया जायेगा तथा इसके अतिरिक्त जुर्माना स्वरूप रू0 1,000/– प्रतिदिन की दर से भी निविदाकर्ता के मासिक बिल में से काटे जायेंगे।

viii) कम्पनी के किसी भी निर्णय या स्पष्टीकरण के लिए निविदाकर्ता कार्य को नहीं रोकेगा एवं खान प्रबन्धक/अधिकृत अधिकारी के निर्देशानुसार कार्य को यथावत जारी रखेगा।

ix) समय की पाबंदी इस अनुबन्ध की मुख्य आव यकता है। अतः कार्यादेश/ एल0ओ0ए0 मिलने के 15 दिन के भीतर 10,000 लीटर अथवा इससे अधिक क्षमता वाले ट्रक चैसिस पर बना पानी का टैंकर (क्लाज 2.1 के अनुरुप) मय चालक स्टाफ उपलब्ध करवाकर कार्यारम्भ नही करने पर निम्नानुसार दडं लगाने के लिये प्रबंधन स्वतन्त्र होगा एवं इसका समायोजन अनुबंधकर्ता के मासिक बिलों में से किया जाएगा–

स	निविदाकर्ता कार्यादेश/एल0ओ0ए0 मिलने के 15 दिन के भीतर प्रस्तावित वाहनों को उपलब्ध नहीं करवाता हैं तो अनुबंध की कूल राशि का 0.5 प्रतिशत की दर से प्रत्येक 15 दिवस की आवृत्ति पर बतौर क्षतिपूर्ति वसूल की जायेगी। यह राशि

	अनुबंध की कूल राशि का 2 प्रतिशत से अधिक हो जाने पर अनुबंध समाप्त किया जा सकता है।

16.2 **टैंकर व इसके रख रखाव बाबतः**

i) कार्य पर लगाये जाने वाले टैंकर को कार्य प्रारम्भ करने से कम से कम एक सप्ताह पूर्व टैंकर को सानू माइन्स लाकर विभाग के यान्त्रिक अभियन्ता द्वारा दुरुस्त हालत की जॉच के लिए निरीक्षण करवाना होगा तथा उनके द्वारा टैंकर के सुरक्षित चालन हेतु बताये गये निर्देशों का पालन कर टैंकर को कार्य पर लगाना होगा। टैंकर के अनुरक्षण एवं रख रखाव (रिपेयर एवं मेंटेनेंस) की समस्त जिम्मेदारी अनुबन्धकर्ता स्वयं की होगी। टैंकर को हमेशा दुरस्त हालत में रखना होगा। टैंकर के लिए डीजल, ऑयल, ग्रीस, स्टेपनी, आव यक औजार एवं अन्य सामग्री का प्रबन्ध अनुबन्धकर्ता को स्वयं को करना होगा तथा सुचारू रूप से कार्य संचालन के लिये इनकी आव यक मात्रा हमेशा सुनिश्यित करनी होगी। प्रतिदिन टैंकर के सुचारू संचालन के लिए न्यूनतम दो ड्राईवर की व्यवस्था रखनी होगी तथा उपरोक्त स्टॉफ का पूर्ण विवरण खान प्रबन्ध को अग्रिम प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

ii) टैंकर से सम्बन्धित हर प्रकार के टैक्स का भुगतान अनुबन्धकर्ता को स्वयं करना होगा। अनुबन्धकर्ता कौ टैंकर के वैध रजिस्ट्रेशन प्रमाण–पत्र, रोड टैक्स, फिटनेस, बीमा, अन्य सम्बन्धित कागजात एवं ड्राइवरों के ड्राइविंग लाइसेंस सदैव उपलब्ध रखने होंगे तथा निरीक्षण के दौरान सक्ष्म अधिकारी को मूल प्रति में प्रस्तुत करने होंगे। टैंकर व ि 2007 अथवा उसके बाद का होना चाहिए तथा निविदा प्रपत्र के साथ टैंकर का एक रंगीन फोटो (4 इंच X 6 इंच साइज) का संलग्न करें एवं यह सुनिि चत करें के टैंकर की हेड लाइट, हॉर्न, स्टीयरिंग व ब्रेक अच्छी कार्य स्थिति में हों। मॉडल के वर्श तथा स्थिति से सम्बन्धित आव यक जानकारी के पक्ष में सत्यापित प्रतिलिपियॉ निविदा के साथ संलग्न करना आव यक है। टैंकर पर पूर्ण भराव क्षमता हिन्दी या अंग्रेजी में टैंकर के दोनों ओर लिखी होनी चाहिए तथा टैंकर की बॉडी पीने के पानी के भण्डारण हेतु निर्मित हो। टैंकर बॉडी, वॉल्व, पाइप या जॉइन्ट से किसी प्रकार का लीकेज नहीं होना चाहिए।

iii) टैंकर को कार्य के प्श्चात् खान परिसर के अन्दर मेन गेट नं..2 अथवा पाली प्रबन्धक द्वारा निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी पार्क नहीं किया जाना चाहिए। ढलान पर टैंकर के हैण्ड ब्रेक अच्छी कार्य स्थिति में होने चाहिए। यदि टैंकर को रिपेयर कार्य हेतु खान परिसर से बाहर लम्बी अवधि के लिए ले जाना हो तो इसकी पूर्व सूचना लिखित में खान प्रबन्धक को अनवार्य रूप से देनी होगी।

iv) खानों में संचालन हेतु वैधानिक आवश्यकताओं की पालना में टैंकर पर एक ऑडियो विजुअल रिवर्सीबल अलार्म लगा होना चाहिए, जिससे कि टैंकर के रिवर्स होने पर हॉर्न काम करे तथा एक फ्लेशिंग लाइट रुक रुक कर जले। इसके अतिरिक्त टैंकर में वायरिंग भाार्ट सर्किट या अन्य किसी कारण से आग लगने की स्थिति में आग पर नियंत्रण हेतु उचित प्रगकार का एक अग्निशमन यंत्र रखा होना चाहिए, जो कि शार्ट सर्किट की ऑयल से लगने वाली आग को बुझाने में समर्थ हो। चालक को उपरोक्त अग्निशमन यंत्र चलाने का तरीका आना चाहिए।

16.3 दुर्घटना एवं स्वास्थ्य के संबंध में निविदाकर्ता की जिम्मेदारी:

i) कार्य के दौरान टैंकर के दुर्घटनाग्रस्त होने पर सम्पूर्ण जिम्मेदारी अनुबन्धकर्ता की स्वयं की होगी तथा समस्त प्रकार के क्षतिपूर्ति दावों के भुगतान की जिम्मेदारी भी स्वयं अनुबन्धकर्ता की होगी।

ii) टैंकर से किसी भी प्रकार की दुर्घटना होने पर खान प्रबन्धक को तुरन्त सूचित करना होगा। टैकर की यान्त्रिक स्थिति सदैव दुरुस्त रहनी चाहिए।

iii) कार्य पर नियुक्त किये गये व्यक्तियों के स्वास्थ्य एवं सुरक्षा का सम्पूर्ण दायित्व अनुबन्धकर्ता का स्वयं का होगा तथा अनुबन्धकर्ता को स्वयं के खर्चे पर उन्हें आव यक सुरक्षा उपकरण उपलब्ध करोने होंगे।

iv) कार्य पर लगाये गये व्यक्तियों के नाम, पिता का नाम, आयु, स्थाई पता, फोटो, वैध हेवी व्हीकल ड्राइविंग लाईसेंस की सत्यापित फोटो प्रतिलिपि आदि अन्य जरूरी विवरण कार्य प्ररम्भ करने से कम से कम एक सप्ताह पूर्व खान प्रबन्धक को देने होंगे। अनुबन्ध अवधि के दौरान कार्य पर लगाये गये व्यक्तियों के परिवर्तन होने पर भी उपरोक्त वर्णित र्दस्तावेज खान प्रबन्धक को अग्रिम प्रस्तुत करने होंगे।

17-0 स्थानीय कार्यालय

अनुबंधकर्ता को ऐसे अधिकृत व्यक्ति की नियुक्ति करनी होगी जो कि अनुबंधकर्ता की तरफ से निर्णय लेने में सक्षम हो। ऐसे नियुक्त किये गए व्यक्ति की जानकारी अनुबंधकर्ता को कंपनी में लिखित रूप से प्रस्तुत करनी आव यक है। तथा नियुक्त व्यक्ति को प्रतिदिन कम्पनी के अधिकृत अधिकारी से सम्पर्क स्थापित करना आव यक है।

18-0 अनुबंधकर्ता द्वारा अपील करना

यदि अनुबंधकर्ता स्थानीय प्रबंधन द्वारा दिए गए निर्णय या कार्य प्रणाली से संतुष्ट नहीं होता है तो वह समूह महा प्रबंधक (एस.बी.यू लाईमस्टोन) आर0

एस0 एम0 एम0 लि0 के समक्ष अपनी अपील लिखित में प्रस्तुत कर सकता है, तथा समूह महा प्रबंधक (एस.बी.यू लाईमस्टोन) द्वारा दिया गया निर्णय ही अंतिम माना जाएगा जो कि दोनो पक्षों को स्वीकार होगा ।

19-0 न्याय क्षेत्र

इस अनुबंध से संबंधित किसी भी प्रकार का विवाद होने पर न्याय क्षेत्र जोधपुर न्यायालय ही रहेगा।

20-0 अपील

राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम, 2013 की धारा 40 के अर्न्तगत यदि कोई भी बोली लगाने वाला या भावी बोली लगाने वाला उपापन संस्थान के किसी भी निर्णय, कार्यवाही या लोप, जैसी भी स्थिति हो, से किसी भी रूप में असंतुश्ट या खफा है, तो वह निर्धारित फीस जमा करवाकर, दस दिन के भीतर निर्धारित प्रथम या द्वितीय अपीलेट अथॉरिटी को उक्त निर्णय, कार्यवाही या लोप का स्पश्ट उल्लेख करते हुए फार्म नं. 1 (देखें नियम 83) – राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियिम– 2012 की मेमोरेण्डम ऑफ अपील के तहत अपील कर सकता है।

21-0 सब लेट (Sub letting):

निविदाकर्ता वाहन के कार्य को पूर्ण या आंशिक रुप से किसी अन्य फर्म/व्यक्ति को सबलेट नहीं कर सकेगा । इस भार्त की अवहेलना करने की स्थिति में कम्पनी द्वारा अनुबन्ध को समाप्त कर अनुबन्धकर्ता की अमानत राशि को जब्त किया जा सकेगा ।

22-0 अनुबंध की समाप्ति

22.1 यदि संविदाकार की सेवायें संतोषजनक नहीं है अथवा अनुबंधकर्ता अपने वाहन सात दिन तक लगातार ड्यूटी हेतु उपलब्ध नहीं कराता है तो प्रबंधन बिना कोई नोटिस दिए अनुबंध को समाप्त कर सकता है। इस अनुबंध समाप्ति से यदि कंपनी को कोई हानि होती है तो उस हानि का समायोजन अनुबन्धकर्ता के किसी भी बकाया बिल /अमानत राशि में से करने के लिए प्रबंधन स्वतंत्र होगा।

22.2 प्रबंधन किसी भी समय एक माह का नोटिस देकर अनुबंध को समाप्त कर सकता है तथा इसकी एवज में अनुबन्धकर्ता को किसी प्रकार का क्लेम व मुआवजा देय नही होगा ।

23-0 कार्यादेश की सूचना एवं संविदा इकरारनामा

23.1 निविदाकर्ता जिसकी दर को स्वीकार किया जा चुका है उसे कम्पनी द्वारा कार्य प्रदान किये जाने की सूचना डाक या फेक्स द्वारा दी जायेगी एवं की

संपुष्टि रजिस्टर्ड पत्र अथवा स्पीड पोस्ट से दी जायेगी । इस पत्र (जिसे के बाद में एवं संविदा की भार्तें में "सहमति पत्र" कहा जायेगा) में ठेके की दर (contract rate) का उल्लेख किया जायेगा । इस दर पर कम्पनी द्वारा ठेकेदार को संविदा में उल्लेखित कार्य के निष्पादन एवं उसके द्वारा पूर्णरुप से निष्पादित किये गये कार्य के एवज में भुगतान किया जायेगा ।

23.2 कार्य प्रदान करने की अधिसूचना ही संविदा की संरचना करेगा। निम्नवर्णित धारा के अनुसार कार्य का निष्पादन, जो कि सहमति पत्र (एल.ओ.ए.) के जारी होने के साथ आरम्भ हुआ था ,इकरारनामा की औपचारिकता निर्धारित करेगी।

23.3 सफल निविदाकर्ता को कम्पनी के साथ, निविदा स्वीकृति की सूचना के 30 दिन के भीतर इंडियन स्टेम्प एक्ट के तहत, उचित मूल्य के नॉन ज्यूडिशियल स्टेम्प पेपर पर एक इकरारनामा सम्पन्न करना होगा। नॉन ज्यूडिशियल स्टेम्प एवं इकरारनामा का समस्त व्यय ठेकेदार को वहन करना होगा ।

23.4 प्रबन्धन के पास बिना कोई कारण बताए किसी एक अथवा समस्त निविदाओं को निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा ।

<u>निविदाकर्ता द्वारा घोषणा</u>

मैं/हम .... यह घोषणा करते है कि हमने इस निविदा प्रपत्र की सभी शर्तो एवं कार्य को अच्छी तरह पढ एवं समझ लिया है और इसकी सभी शर्ते हमें स्वीकार्य है । इस तथ्य की पुष्टि के लिए प्रत्येक पृष्ठ पर अपने/फर्म के अधिकृत प्रतिनिधि के हस्ताक्षर कर दिये है ।

हस्ताक्षर निविदाकर्ता मय मोहर

प्रारूप परिशिष्ट–1
प्रथम भाग

तकनीकी एवं वाणिज्यिक

निविदाकर्ता द्वारा निविदा प्रपत्र को पूर्ण रूप से पढने एवं समझने के बाद इस भाग को भरना चाहिए।

क सं	विवरण	निविदाकर्ता स्वयं भरे
01	वांछित धरोहर राशि का डिमाण्ड ड्राफ्ट सं व राशि	बैंक का विवरण.................................... डिमाण्ड ड्राफ्ट सं .... राशि.......................... दिनांक ....
02	निविदाकर्ता का नाम, वर्तमान व स्थाई पता एवं टेलीफोन /मोबाइल/फैक्स (एस.टी.डी.कोड सहित) नंबर नं.	नाम.. पता.. ....
03	फर्म की स्थिति में फर्म का नाम पंजियन संख्या एवं यदि साक्षेदारी है तो, डीड की सत्यापित प्रतिलिपि संलग्न करें।	
04	क्या वर्तमान में आप इस तरह का वृक्षारोपण/अन्य कार्य कर रहे है या किया हुआ है तो उसका पूर्ण विवरण देवें ।	
05	पेनकार्ड नम्बर की फोटो प्रति	
06	सर्विस टैक्स नम्बर की फोटो प्रति	
07	एमएसएमईडी रजिस्ट्रेशन (एमएसएमईडी एक्ट 2006 –लागू हो तो) से संबंधित सत्यापित दस्तावेज की फोटो प्रति	
08	निविदाकर्ता का कुल कारोबार (कम से कम रु. 5.65 लाख) –(प्रतिवर्ष कारोबार किये जाने का प्रमाण पत्र संलग्न किया गया है।)	
	वर्ष 2011–12,	रु...
	वर्ष 2012–13	रु...
	वर्ष 2013–14	रु..
	वर्ष 2014–15	रु..
09	क्या निविदाकर्ता/फर्म का आयकर कार्यालय द्वारा जारी (Assessment) नवीनतम प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति संलग्न की गई है।	
10	क्या निविदाकर्ता ने अपने स्वयं के बारे में इस आशय का एक शपथ पत्र नोटेरी पब्लिक से सत्यापित करवाकर प्रस्तुत किया है कि केन्द्रीय/राज्य सरकार और किसी भी सरकारी या निजी उपक्रम में उसके द्वारा किये गये कार्य के बारे में उसका कोई विवाद लम्बित नहीं है।	
11	यदि निविदाकर्ता के पास एक 10,000 लीटर अथवा इससे अधिक क्षमता के ट्रक चैसिस (मॉडल वर्ष 2007 अथवा उसके बाद का) पर बने पानी के टैंकर का उपलब्ध नहीं है तो उसे उपलब्ध करने हेतु रु.100.00 का शपथ पत्र नोटेरी पब्लिक से सत्यापित करवाकर प्रस्तुत करें। **(प्रारुप परिषिष्ट 4)**	
12	पी.एफ. खाता नम्बर की फोटो प्रति या रु.10.00 का शपथ पत्र नोटेरी पब्लिक से सत्यापित करवाकर प्रस्तुत करें। **(प्रारुप परिषिष्ट 5)**	
13	जैसलमेर आई.ओ.सी.एल./एच.पी.सी.एल./बी.पी.सी.एल. की डीज़ल की दर	रु................ प्रति लीटर

दिनांक : हस्ताक्षर निविदाकर्ता मय मोहर

संलग्न :–

प्रारुप परिशिष्ट – 2

प्रथम भाग

निविदाकर्ता के पास उपलब्ध 10,000 लीटर अथवा इससे अधिक क्षमता के ट्रक चैसिस (मॉडल वर्श 2007 अथवा उसके बाद का) पर बने पानी के टैंकर का विवरण एवं दस्तावेजों की सत्यापित फोटो प्रति संलग्न करें

क सं	कार्य पर प्रयुक्त किये जाने वाले टैंकर का संक्षिप्त विवरणः
01	वाहन पंजीकरण सं.:...
02	पंजीकरण प्रमाण पत्र में स्वामी का नामः ....
03	बीमा की वैधता अवधिः .... से ....तक
04	परिवहन विभाग द्वारा जारी फिटनेस प्रमाण पत्र की वैधता अवधि.......................से......................तक
05	वाहन कर जमा होने की अवधिः.....................से ....तक
06	खाली टैंकर का वजन (किग्रा):...
07	पूर्ण भरा होने की स्थिति में टैंकर का अधिकतम वनज (किग्रा)...................
08	टैंकर की अधिकतम भार वहन क्षमता .... (किग्रा)
09	निविदा के साथ संलग्न किये टैंकर के 4′ X 6′ साइज के रंगीन फोटो खींचे जोने की तिथि...

निविदाकर्ता का नाम व हस्ताक्षर ——————————————

दिनांक————————————————

राजस्थान स्टेट माईन्स एण्ड मिनरल्स लि0

(राजस्थान सरकार का उपक्रम)

8, वेस्ट पटेल नगर , सर्किट हाउस रोड , जोधपुर

प्रारुप परिशिष्ट 3

द्वितीय भाग

कार्य की दरें (Price Bid)

निविदाकर्ता द्वारा निविदा प्रपत्र को पूर्ण रूप से पढने एवं समझने के बाद इस भाग को भरना होगाः–

कार्य का विवरण: सानू माईन्स जैसलमेर के लिये पानी छिड़कावयंत्रयुक्त एक 10,000 लीटर अथवा इससे अधिक क्षमता के ट्रक चैसिस (मॉडल वर्श 2007 अथवा उसके बाद का) पर बने पानी के टैंकर द्वारा रामगढ़ नहर / रामगढ़ स्थित पी.एच.ई.डी. हाईड्रेट / सानु ग्राम स्थित पी.एच.ई.डी. ट्यूबवेल से कम्पनी की सानु लाईमस्टोन माइन्स तक पानी परिवहन कर निविदा में दर्िात विभिन्न कार्य निपादित करना।

क0 सं0	कार्य का विवरण	कार्य की दर
1	रामगढ स्थित सागरमल गोपा नहर/रामगढ़ कस्बे में स्थित पी.एच.ई.डी. हाईड्रेट से पानी क्रय कर कम्पनी की सानु लाइमस्टोन माइन्स के काटे तक पानी का परिवहन करना एवं मुख्य कार्य वेस्ट डम्प पर, वृक्षारोपण की सिंचाई एवं आवयकतानुसार अन्य कार्य जैसे माइन सं.2 के सुरक्षा प्रहरी द्वार के पास स्थित पीने के पानी हेतु बने भूमिगत टैंक में पानी डालना, विभागीय क्रिंग प्लांट क्षेत्र में सतही स्थित आर.सी.सी के टैंक में पानी डालना या माइन्स होलेज रोड/विभागीय क्रिंग प्लांट क्षेत्र में टैंकर पर लगे स्प्रिंकलर द्वारा पानी का छिड़काव करने हेतु टैंकर उपलब्ध कराने की न्यूनतम स्वीकार्य दर (सेवा कर रहित)	**(अंकों में)** रूपये ....प्रति टैंकर ट्रिप **(शब्दों में)** रूपये .... प्रति टैंकर ट्रिप
2	रामगढ़ नहर/रामगढस्‍ कस्बे में स्थित पी.एच.ई.डी. हाईड्रेट पर पानी उपलब्ध न होने की स्थिति में सानु ग्राम स्थित पी.एच.ई.डी ट्यूबवेल से पानी लाकर खदानों के वृक्षारोपण की सिंचाई एवं क0सं0.1 में वर्णित अन्य कार्यों हेतु टैंकर उपलब्ध कराने की न्यूनतम स्वीकार्य दर (सेवा कर रहित)	**(अंकों में)** रूपये ....प्रति टैंकर ट्रिप **(शब्दों में)** रूपये .... प्रति टैंकर ट्रिप
3	सानु माइन्स स्थित रिजर्वायर या हाइड्रेट पर पानी उपलब्ध हो जाने की स्थिति में खदानों के वृक्षारोपण की सिंचाई एवं क0सं0.1 में वर्णित अन्य कार्यों हेतु टैंकर उपलब्ध कराने की न्यूनतम स्वीकार्य दर(सेवा कर रहित)	**(अंकों में)** रूपये ....प्रति टैंकर ट्रिप **(शब्दों में)** रूपये .... प्रति टैंकर ट्रिप

<u>नोट</u>:– निविदा भरने की अन्तिम तिथि को जैसलमेर आई.ओ.सी.एल./एच.पी.सी.एल./बी.पी.सी.एल. की डीज़ल की दर–.रु. . ... **प्रति लीटर**

(इसे निविदाकर्ता द्वारा भरना आवयक है मय सम्बन्धित डीज़ल पम्प के प्रमाण पत्र के साथ)

1. निविदाकर्ता द्वारा भरी गई दर स्थायी एवं निचित होगी। परन्तु डीजल की दर परिवर्तित होने पर निविदा में उल्लेखित धारा के अनुसार दर परिवर्तनीय होगी ।
2. प्रत्येक कॉलम में दरें भाब्दों एंव अकों में होनी चाहिए। भाब्दों एंव अकों में लिखी गई दरों में अन्तर होने पर न्यूनतम दर ही मान्य होगी ।
3. मैं/हम यह घोषणा करते हैं कि हमने इस निविदा प्रपत्र की सभी भार्तो एवं कार्य को अच्छी तरह पढ़ एवं समझ लिया है और इसकी सभी भार्ते मुझे/हमें स्वीकार है । इस तथ्य की पुष्टि के लिए प्रत्येक पृष्ठ पर अपने/फर्म के अधिकृत प्रतिनिधि के हस्ताक्षर कर दिये हैं ।
4. उपरोक्त दरों से अतिरिक्त कहीं भी दर प्रस्ताव संबंधित अंश आदि निविदा प्रस्ताव में इंगित नहीं किया गया है ।

निविदाकर्ता के हस्ताक्षर..................................

निविदाकर्ता का नाम, पद, पता व मोहर...............

दिनांक ....

प्रारुप परिशिष्ट 4

भापथ पत्र

(रु.100.00 का)

मैं .... पुत्र....................................जाति...
निवासी ....तहसील..............................जिला.......................................(राज)
श पथपूर्वक बयान करता हूॅं :

1. कि यदि राजस्थान स्टेट माईन्स एण्ड मिनरल्स् की निविदा सं. :आरएसएमएम/लाईम स्टोन के तहत मेरे पक्ष में कार्य स्वीकृत होता है तो मैं 15 दिवस के अन्दर–अन्दर वाहन एक पानी छिड़कावयंत्रयुक्त एक 10,000 लीटर अथवा इससे अधिक क्षमता के ट्रक चैसिस (मॉडल वर्श 2007 अथवा उसके बाद का) पर बने पानी के टैंकर का आपको उपलब्ध करवा दूंगा ।
2. यह है कि यदि मै 15 दिवस के अन्दर नया वाहन उपलब्ध नहीं करवा पाता हूॅं तो मेरी धरोहर राशि रु. 57600 जब्त करने का पूर्ण अधिकार कम्पनी को होगा ।

हस्ताः निविदाकर्ता

तस्दीक

मैं तस्दीक करता हूॅं कि उपरोक्त शपथ पत्र पेरा संख्या एक व दो में वर्णित तथ्य मेरी जानकारी में सही एवं सत्य है । इति दिनांक ....

हस्ताः निविदाकर्ता

(TO BE TYPED ON THE NON JUDICIAL STAMP PAPER OF Rs. 100/- ATTESTED BY NOTARY/MAGISTRATE)

I……………………………S/o Shri ………………………… aged…… year, resident of ……………………………………………………………………. on behalf of the tenderer i.e. M/s ………………………………………….. ………………………… hereby undertake oath and state as under:-

1) That I have submitted a tender for ………………………………

2) That I/We have gone through the temrs & conditions of the tender document.

3) That the provisions of Employees Provident Fund and Miscellaneous Provisions Act, 1952 including subsequent amendments & notifications, in respect of the employees engaged for the work, are not applicable on me/us (i.e. tenderer/contractor).

4) That in case during the currency of the contract, I/We come under the purview of Employees Providnet Fund and Miscellaneous Provisons Act, 1952 including subsequent amendments & notifications, then I/We will get myself/ourselves registered with the concerned PF Commissioner.

Deponent
(Authorised Signatory)

VERIFICATION

I/We the above deponent make oath and state that my above statement is true and correct to my personal knowledge, that no part of it is wrong, that nothing material has been concealed, so help me God.

Deponent
(Authorised Signatory)

प्रारुप परिशिष्ट 6

AFFIDAVIT

(on non judicial stamp paper worth Rs. 10/-)

Tender No………………………………………………………………………………………

Name of Tenderer………………………………………………………………………………

I,………………………………………S/o Shri……………………………aged………. Years, resident of…………………………………………………………… on behalf of the tenderer i.e. M/s…………………………………………………………………… hereby undertake oath and state as under:-

(1) I / We are not having or had any litigation with RSMML/any other company in relation to the work. In case of litigation with RSMM or any other company, I/we hereby undertake that such litigation will not restrict me/us in smooth execution of tendered work.

(2) I/We have not been banned /suspended /de-listed by RSMML.

(3) I/We declare that I/We have not mentioned any exception /deviation of the tender conditions in our offer

(4) I/We declare that price bid is in prescribed performa & no conditions are attached to it .Even if any conditions /s found, those would be ignored at our risk & cost.

(5) That we are registered under MSMED Act & registration number of the firm is …………….. (Copy enclosed) or that we are not registered under MSMED Act.

(6) I/We do hereby declare that I/We have fully read and understood the purpose and contents of all the terms and conditions of this contract, nature, quantum, contract period and scope of work of the tender document and all terms& conditions of this tender and these are acceptable to me/us.

(7) I/We do hereby declare that I/We have fully read and understood the provision of Rajasthan Transparency in public procurement Rules 2013 and all terms& conditions mentioned therein are acceptable to me/us

Signature of Tenderer (s)
(Authorised Signatory)
With seal

Place:
Date:

Bank Details of Tenderer for RTGS/NEFT/Online refund of EMD

Sl.No.	Description	Details
1	Name of Tenderer	
2	e-mail ID	
3	Mobile no.(for SMS)	
3	Bank Account No.	
4	Banker details: a) Name b) Branch No. c) Address	
5	Type of A/c : Saving / Current / CC/ any other	
6	IFSC code	

Name & Signature of Tenderer
With seal

ANNEXURE-A

Compliance with the Code of integrity and No Conflict of Interest

Any person participating in a procurement process shall:

(a) not offer any bribe, reward or gift or any material benefit either directly or indirectly in exchange for an unfair advantage in procurement process or to otherwise influence the procurement process.

(b) not misrepresent or omit that misleads or attempts to mislead so as to obtain a financial or other benefit or avoid an obligation.

(c) not indulge in any collusion, Bid rigging or anti competitive behavior to impair the transparency, fairness and progress of the procurement process;

(d) not misuse any information shared between the procuring Entity and the Bidders with an intent to gain unfair advantage in the procurement process;

(e) not indulge in any coercion including impairing or harming or threatening to do the same, directly or indirectly, to any party or to its property to influence the procurement process.

(f) not obstruct any investigation or audit of a procurement process.

(g) disclose conflict of interest, if any; and

(h) disclose any previous transgressions with any Entity in India or any other country during the last three years or any debarment by any other procuring entity.

Conflict of Interest:

The Bidder participating in a bidding process must not have a Conflict of Interest.

A Conflict of Interest is considered to be a situation in which a party has interests that could improperly influence that party's performance of official duties or responsibilities, contractual obligations, or compliance with applicable laws and regulations.

i. A Bidder may be considered to be in Conflict of Interest with one or more parties in a bidding process if, including but not limited to:

a. have controlling partners/shareholders in common; or

b. receive or have received any direct or indirect subsidy from any of them; or

c. have the same legal representative for purposes of the Bid; or

d. have a relationship with each other, directly or through common third parties, that puts them in a position to have access to information about or influence on the Bid of another bidder, or influence the decisions of the Procuring Entity regarding the bidding process; or

e. the Bidder participates in more than one Bid in a bidding process. Participation by a Bidder in more than one Bid will result in the disqualification of all Bids in which the Bidder is involved. However, this does not limit the inclusion of the same subcontractor, not otherwise participating as a Bidder, in more than one Bid; or

f. the Bidder or any of its affiliates participated as a contractor in the preparation of the design or technical specifications of the Goods. Works or Services that are the subject of the Bid; or

g. Bidder or any of its affiliates has been hired (or is proposed to be hired) by the Procuring Entity as engineer-in-charge/contractor for the contract.

ANNEXURE-B

Declaration by the Bidder regarding Qualifications

<u>Declaration by the Bidder</u>

In relation to my/our Bid submitted For procurement in response to Notice Inviting Bids I/We hereby declare under Section 7 of Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, 2012, that:

1. I/we possess the necessary professional, technical, financial and managerial resources and competence required by the Bidding Document issued by the Procuring Entity.
2. I/we have fulfilled my/our obligation to pay such of the taxes payable to the Union and the State Government or any local authority as specified in the Bidding Document.
3. I/we are not insolvent, in receivership, bankrupt or being wound up, not have my/our affairs administered by a court or a judicial officer, not have my/our business activities suspended and not the subject of legal proceedings for any of the foregoing reasons.
4. I/we do not have, and our directors and officers not have, been convicted of any criminal offence related to my/our professional conduct or the making of false statements or misrepresentations as to my/our qualifications to enter into a procurement contract within a period of three years preceding of commencement of this procurement process, or not have been otherwise disqualified pursuant to debarment proceedings;
5. I/we do not have a conflict of interest as specified in the Act, Rules and the Bidding Document, which materially affects fair competition;

Date | **Signature of bidder**

Place | **Name:**

Designation:

Address:

Annexure-C

The designation and address of the First Appellate Authority is –

Secretary to the Government of Rajasthan,
Department of Mines & Petroleum,
Secretariat,
Jaipur

The designation and address of the Second Appellate Authority is –

Principal Secretary to the Government of Rajasthan,
Department of Finance,
Secretariat,
Jaipur

(1) **Filing an appeal**

If any Bidder or prospective bidder is aggrieved that any decision, action or omission of the Procuring Entity is in contravention to the provisions of the Act or the Rules or the Guidelines issued thereunder, he may file an appeal to First Appellate Authority, as specified in the Bidding Document within a period of ten days from the date of such decision or action, omission, as the case may be, clearly giving the specific ground or grounds on which he feels aggrieved:

Provided that after the declaration of a Bidder as successful the appeal may be filed only by a Bidder who has participated in procurement proceedings:

Provided further that in case a Procuring Entity evaluates the Technical Bids before the opening of the Financial Bids, an appeal related to the matter of Financial Bids may be filed only by a Bidder whose Technical Bid is found to be acceptable.

(2) The officer to whom an appeal is filed under para (1) shall deal with the appeal as expeditiously as possible and shall endeavour to dispose it of within thirty days from the date of appeal.

(3) If the officer designated under para (1) fails to dispose of the appeal filed within the period specified in para (2), or if the Bidder or prospective bidder or the Procuring Entity is aggrieved by the order passed by the First Appellate Authority, the Bidder or prospective bidder or the Procuring Entity, as the case may be, may file second appeal to Second Appellate Authority specified in the Bidding Document in this behalf within fifteen days from the expiry of the period specified in para (2) or of the date of receipt of the order passed by the First Appellate Authority, as the case may be.

(4) **Appeal not to lie in certain cases**
No appeal shall lie against any decision of the Procuring Entity relating to the following matters, namely:-
(a) determination of need of procumbent;
(b) provisions limiting participation of Bidders in the bid process;
(c) the decision of whether or not to enter into negotiations;

(d) cancellation of a procurement process;
(e) applicability of the provisions of confidentiality.

(5) **Form of Appeal**

(a) An appeal under para (1) or (3) above shall be in the annexed Form along with as many copies as there are respondents in the appeal.
(b) Every appeal shall be accompanied by an order appealed against, if any, affidavit verifying the facts stated in the appeal and proof of payment of fee.
(c) Every appeal may be presented to First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be, in person or through registered post or authorized representative.

(6) **Fee for filing appeal**

(a) Fee for first appeal shall be rupees two thousand five hundred and for second appeal shall be rupees ten thousand, which shall be non refundable.
(b) The fee shall be paid in the form of bank demand draft or banker's cheque of Scheduled Bank in India payable in the name of Appellate Authority concerned.

(7) **Procedure for disposal of appeal**

(a) The first Appellate Authority or Second Appellate Authority as the case may be, upon filing of appeal, shall issue notice accompanied by copy of appeal, affidavit and document, if any, to the respondents and fix date of hearing.

(b) On the date fixed for hearing, the First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be, shall:-

(i) hear all the parties to appeal present before him; and
(ii) peruse or inspect documents, relevant records or copies thereof relating to the matter.

(c) After hearing the parties, perusal or inspection of documents and relevant records or copies thereof relating to the matter, the Appellate Authority concerned shall pass an order in writing and provide the copy of order to the parties to appeal free of cost.

(d) The order passed under sub-clause(c) above shall also be placed on the State Public Procurement Portal.

Form No.1
(See rule 83)

Memorandum of Appeal under the Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, 2012

Appeal No. ………………. of …………………………….
Before the …………………………….(first/second Appellate Authority)

1. Particular of appellant:

   (i) Name of the appellant:

   (ii) Official address, if any:

   (iii) Residential address:

2. Name and address of the respondent(s):

(i)
(ii)
(iii)

3. Number and date of the order appealed against and name and designation of the officer/authority who passed the order (enclosed copy, or a statement of a decision, action or omission of the Procuring Entity in contravention to the provisions of the Act by which the appellant is aggrieved:

4. If the Appellant proposes to be represented by a representative, the name and postal address of the representative:

5. Number of affidavits and documents enclosed with the appeal:

6. Ground of appeal : ……………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………… …………………………………………………..(Supported by an affidavit)

7. Prayer: ……………………………………………………………………………. ……………………………………………………..
   Place …………………………..
   Date …………………………..
   Appellant's Signature

Annexure-D

Additional Conditions of Contract

1. **Correction of arithmetical errors**

Provided that a Financial Bid is substantially responsive, the Procuring Entity will correct arithmetical errors during evaluation of Financial Bids on the following basis:

i. if there is a discrepancy between the unit price and the total price that is obtained by multiplying the unit price and quantity, the unit price shall prevail and the total price shall be corrected, unless in the opinion of the Procuring Entity there is an obvious misplacement of the decimal point in the unit price, in which case the total price as quoted shall govern and the unit price shall be corrected.

ii. if there is an error in a total corresponding to the addition or subtraction of subtotals, the subtotals shall prevail and the total shall be corrected; and

iii. if there is a discrepancy between words and figures, the amount in words shall prevail, unless the amount expressed in words is related to an arithmetic error, in which case the amount in figures shall prevail subject to (i) and (ii) above.

If the Bidder that submitted the lowest evaluated Bid does not accept the correction of errors, its Bid shall be disqualified and its Bid Security shall be forfeited or its Bid Securing Declaration shall be executed.

2. **Procuring Entity's Right to Vary Quantities**

(i) At the time of award of contract, the quantity of Goods, works or services originally specified in the Bidding Document may be increased or decreased by a specified percentage, but such increase or decrease shall not exceed twenty percent, of the quantity specified in the Bidding Document. It shall be without any change in the unit prices or other terms and conditions of the Bid and the conditions of contract.

(ii) If the Procuring Entity does not procure any subject matter of procurement or procures less than the quantity specified in the Bidding Document due to change in circumstances, the Bidder shall not be entitled for any claim or compensation except otherwise provided in the Conditions of Contract.

In case of procurement of Goods or services, additional quantity may be procured by placing a repeat order on the rates and conditions of the original order. However, the additional quantity shall not be more than 25% of the value of Goods of the original contract and shall be within one month from the date of expiry of last supply. If the Supplier fails to do so, the Procuring Entity shall be free to arrange for the balance supply by limited Bidding or otherwise and the extra cost incurred shall be recovered from the supplier.